

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 399]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई 2017—श्रावण 5, शक 1939

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2017

फा. क्र. 55-2017-चार-185.—भारत के उपराष्ट्रपतीय पद के लिए निर्वाचन हेतु दिन, समय एवं मतों की गणना बावत् भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 480/2017-BE, दिनांक 27 जुलाई 2017 सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है।

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई, 2017—5 श्रावण, 1939 (शक)

अधिसूचना

सं. 480-2017-बी.ई.—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1974 के नियम 27 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग 5 अगस्त, 2017 (शनिवार) को ऐसे दिन के रूप में जिस दिन और उस दिन के सांय 6:00 बजे का समय उस समय के रूप में नियत करता है, जिस समय पर उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के मतों की गणना नई दिल्ली में रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय के कक्ष सं.-62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में की जाएगी.

आदेश से,
हस्ता./-

(आर. के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 27th July, 2017—Shravana 5, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 480/2017-BE—In pursuance of rule 27 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby appoints the 5th August, 2017 (Saturday), as the day on which and 6.00 p.m. of that day as the time at which, the counting of votes for the Vice-Presidential Election, 2017 shall take place in the office of Returning Officer in Room No. 62, First Floor, Parliament House, New Delhi.

By order,

Sd./-

(R. K. SRIVASTAVA)

Sr. Principal Secretary.